प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 13/2023

अनवान : –

1. बाबुलाल डिगवाल पुत्र मुकनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 29/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 251/267 की कुल .5.9560 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का नाम सहवन से उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में बाबुलाल नाम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बाबुलाल डिगवाल है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का अन्य दस्तावेजात यथा आधारकाड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम बाबुलाल डिगवाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने वादी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 251/267 की कुल .5.9560 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादी का नाम बाबुलाल दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम बाबुलाल डिगवाल है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का सिरंगसर, भू0अ0नि0 खुंईया एवं तहसीलदार नोहऱ की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकार्ड, पैनकार्ड, अंकतालिका मा0 शिक्षा बोर्ड राजस्थान आदि में आदि में वादी का नाम बाबुलाल डिगवाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम बाबुलाल डिगवाल होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर एवं भू0अ0नि0 एव पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 251/267 की कुल .5.9560 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम संयुक्त खाता के कम स0 2 पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम बाबुलाल के स्थान पर बाबुलाल डिगवाल का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। अगर वादी द्वारा नाम संशोधन के संबंध में कोई तथ्या छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29/5/23.................को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प किंकराली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 13/2023
अनवान : –

1. बाबुलाल डिगवाल पुत्र मुकनाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 13 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 251/267 की कुल .5.9560 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम संयुक्त खाता के क्रम स0 2 पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम बाबुलाल के स्थान पर बाबुलाल डिगवाल का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। अगर वादी द्वारा नाम संशोधन के संबंध में कोई तथ्या छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 29/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:03 IST
Reason: SelfAttested